**संख्या-135/2025/161/2025/71-1001(099)/538/2021**

प्रेषक,

**पार्थ सारथी सेन शर्मा,**

प्रमुख सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी, प्रयागराज।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2025**

**विषयः-** राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार/उच्चीकरण हेतु अस्पताल परिसर में संचालित राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रयागराज परिसर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विशेष सचिव, राजस्व अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1260/एक-6-2023/1-6099/108/2023, दिनांक 26.12.2023 द्वारा जिलाधिकारी, प्रयागराज के पत्र संख्या-972/रा0आ0, दिनांक 13.12.2023 की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी है, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार/उच्चीकरण हेतु ग्राम-नीबीबाग, परगना व तहसील सदर, जनपद-प्रयागराज स्थित नान जेड0ए0 (राजकीय आस्थान की भूमि) भूखण्ड संख्या-49/1, रकबा 0.7530, 49/3 रकबा 0.240 हे0 एवं 49/4 रकबा 1.164 हे0 कुल रकबा 2.157 हे0 अर्थात् 21570 वर्गमीटर भूमि में से 18700 वर्गमीटर भूमि (राजकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रयागराज की बिल्डिंग, छात्रावास व खाली भूमि) को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में पट्टा दिए जाने की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

**2-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार/उच्चीकरण हेतु अस्पताल परिसर में संचालित राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रयागराज परिसर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने के सम्बनध में निम्नानुसार प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है-

(1) राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार/उच्चीकरण किये जाने हेतु ग्राम-नीबी बाग परगना व तहसील सदर, जनपद- प्रयागराज

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्थित भूखण्ड संख्या-49 नान जेड0ए0 खतौनी सन् 1428 फसली की खतौनी के खाता संख्या-42 पर भूखण्ड संख्या-49/1 रकबा 0.753 हे0, श्रेणी 15(2) के अन्तर्गत खाते में दर्ज आबादी, खाता संख्या-36 पर भूखण्ड संख्या-49/3 रकबा 0.240 हे0, श्रेणी 15(2) के अन्तर्गत खाते में दर्ज आबादी अस्पताल भवन एवं खाता संख्या-40 पर भूखण्ड संख्या-49/4 रकबा 1.164 हे0, श्रेणी 15(2) के अन्तर्गत खाते में दर्ज आबादी बोर्ड मेडिकल स्कूल (जिसका मालिकाना हक सरकार बहादुर खाता खेवट नं0 1/1 का है) कुल रकबा 2.157 हे0 अर्थात 21570 वर्गमीटर भूमि में से 18700 वर्गमीटर भूमि (राजकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रयागराज की बिल्डिंग, छात्रावास व खाली भूमि) को सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धन से सम्बन्धित (संशोधन) नियमावली, 2003 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में रू0 1.00 (एक रूपये मात्र) वार्षिक किराये की दर से 90 वर्ष के पट्टे के माध्यम से, जिसका प्रत्येक 30 वर्ष पर नवीनीकरण किया जाना होगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ पट्टे पर दे दिया जाय-

(क) प्रस्तावित भूमि का पट्टा प्रथमतः 30 वर्ष के लिये निष्पादित किया जायेगा, जिसे 30-30 वर्ष के लिये नवीनीकृत कराने का प्राविधान होगा, लेकिन पट्टे की अधिकतम अवधि 90 वर्ष की होगी।

(ख) भूमि पर स्वामित्व राजस्व विभाग का ही बना रहेगा। इस भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन समाप्त हो जाने पर यह भूमि इससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर अथवा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पर भूमि पुनः राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी और पट्टा स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(ग) पट्टेदार द्वारा ऋण लेने के प्रयोजन से भूमि को किसी राष्ट्रीयकृत/वित्तीय संस्था में बन्धक रखने के पूर्व शासन की लिखित अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(घ) पट्टा असंक्रमणीय होगा अर्थात पट्टेदार को पट्टा शुदा भूमि को किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन आदि को अन्तरित करने का अधिकार नही होगा।

(च) पट्टा-विलेख को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराया जायेगा और इस हेतु स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क पट्टेदार के द्वारा वहन किया जायेगा।

(छ) भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(ज) पट्टा विलेख का निष्पादन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धन से सम्बन्धित नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त भूमि अपरिहार्य परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप पट्टे पर दी जायेगी। भविष्य में इसे दृष्टांन्त नही माना जायेगा। श्री राज्यपाल महोदय की ओर से जिलाधिकरी, प्रयागराज द्वारा पट्टे का निष्पादन एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय प्रयागराज के विस्तार हेतु अस्पताल परिसर में संचालित 'महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय' के परिसर को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तानान्तरित किये जाने हेतु यह आवश्यक होगा कि महिला महाविद्यालय में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं को तात्कालिक रूप से उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (आई0ए0एस0ई0) स्थित परिसर में स्थानान्तरित कर दिया जाय, किन्तु आई0ए0एस0ई0 अत्यन्त पुराना है। इसलिए प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लिये जाने हेतु इसमें लघु मरम्मत की जानी होगी, जिसके लिए आवश्यक धनराशि रूपये रु0 174.00 लाख की व्यवस्था अनुपूरक बजट से किये जाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग को अनुमति प्रदान कर दी जाय।

(3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) के मानक के अनुसार प्रशिक्षण महाविद्यालय को स्थायी रूप से संचालित किये जाने के लिए जिला प्रशासन प्रयागराज को यह निर्देशित कर दिया जाय कि एन0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार शहर में/शहर के निकटस्थ क्षेत्र में पाँच (05) एकड़ निःशुल्क भूमि बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाय, क्योंकि उक्त प्रशिक्षण महाविद्यालय बालिकाओं के लिए ही है तथा प्रशिक्षण के लिये प्रशासनिक भवन व छात्रावास के नव-निर्माण के लिए आगणित धनराशि रु0 1669.27 लाख का प्रावधान अनुपूरक बजट से किये जाने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग को अनुमति प्रदान कर दी जाय।

**3-** कृपया उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय से अवगत होते हुए आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**पार्थ सारथी सेन शर्मा**
प्रमुख सचिव।

**<u>संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>**

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया मा0 मंत्रि-परिषद के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग से उपर्युक्त कार्यवाही को कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**मनोज कुमार सिंह**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in